

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं परतवारी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम

जिला को जनाबन्दी सम्वत्

दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्धिकृत जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	डाणी भीम/डी	49	श्रीराम पुत्र नौरंग	सहीराम पुत्र नौरंग
2.	डाणी अँडा डी दशिणी	4, 40, 48		

प्रभासी अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
पंचा लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 83

दिनांक :- 29/11/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी श्री को सूचनायें।

3. रक्षित पत्रावली।

प्रभासी अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर